Charan Lal Sahu seeking *inter alia* a writ/direction to the Union of India to appoint 89 judges in the various High Courts, the Supreme Court has, in its order dated 1st October 1982, desired to know from the Union of India the reasons for which certain vacancies have remained unfilled from one to three years. The Supreme Court has, in this order, directed the Union of India to file its affidavit in reply within three weeks and has further directed that "in any event, the Union of India will before the next hearing of the Writ Petition, file a statement setting on with reference to each High Court the reasons for which the vacancies have remained unfiled so long. The Writ Petition is adjourned to 3rd November, 1982". Necessary action is being taken by the Government.

NOTES The information regarding the order of the Supreme Court dated 1st October 1982 is based on an uncertified copy thereof as a certified copy has not yet been made available.

फर्रुखाबाद कानपुर तथा फर्रुखाबाद दिल्ली के बीच की टेलीफोन लाइन का खराब रहना

281. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(2) क्या फर्रुखाबाद-कानपुर तथा दिल्ली के बीच टेलीफोन लाइनें प्राय: खराब रहती हैं और अनेक बार काल बुक करने के 24 घंटे बाद भी लाइन नहीं मिलती;

(ख) यदि हां, तो तो उसके क्या कारण हैं और क्या सुधार लाने के लिये उचित कदम उठाए जायेंगे और यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) वर्ष 1982 के प्रारंभ से आज तक दिल्ली से फर्रुखाबाद के लिए और फर्रुखाबाद से दिल्ली के लिये बुक की गई कितनी कालों को रद्द करना पड़ा था और तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) जी नहीं। तथापि अगस्त, 1982 में कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं था।

(ख) इसका मुख्य कारण कन्नौज-फर्रुखाबाद खुली तार प्रणाली का असंतोषजनक कार्य निष्पादन था। (1) यह तारों की चोरी और (2) अगस्त, 1982 के दौरान वर्षा तथा तूफान से कई खंबों का उखड़ जाने के कारण हुई। कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए फर्रुखाबाद नई दिल्ली डायलिंग सर्किट मंजूर किया गया है और इसके शीघ्र ही चालू होने की संभावना है। सर्किट पर निगरानी रखने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

इसमें आगे और सुधार लाने के लिए फर्रुखाबाद–मैनपुरी के बीच छठी योजना में एक यू एच एफ रेडियो लिंक स्थापित करने की योजना बनाई गई है। मैनपुरी दिल्ली और कानपुर से पहले ही स्थायी और विश्वसनीय संचार माध्यम से जुड़ा हुआ है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Amendment to Employees Provident Fund Act

282. DR. KRUPASINDHU BHOI: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to bring forward a comprehensive Bill to amend the Employees' Provident Fund Act;

(b) if so, the progress made in this regard; and

(c) the time by which it will be brought before Parliament, with salient features thereof?